भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 937**

उत्तर देने की तारीख- 05.02.2026

**अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ**

937. **डॉ. आलोक कुमार सुमन :**

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) जनजातीय समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, आवास और आजीविका के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) मौजूदा कानूनों और नीतियों के तहत जनजातीय आबादी के वन अधिकारों, भूमि स्वामित्व और पारंपरिक आजीविका की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या जनजातीय युवाओं और महिलाओं के बीच कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए कोई विशेष पहल की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) निधियों का प्रभावी उपयोग, परिणामों की निगरानी और निर्णय लेने में जनजातीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं, और

(च) क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और देश भर में अनुसूचित जनजातियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण और जनजातीय क्षेत्रों के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त नीतिगत, वित्तीय और संस्थागत उपाय क्या हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

**(क) और (ख) :** सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुलता (आबादी) वाले क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)/ जनजातीय उप योजना (टीएसपी) का कार्यान्वयन कर रही है। डीएपीएसटी के अंतर्गत, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का एक निश्चित प्रतिशत जनजातीय विकास के लिए आवंटित करने के लिए अधिदेशित हैं, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और गैर-अजजा आबादी के बीच विकास के अंतर को पाटना है। ये आवंटन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें, आवास, विद्युतीकरण, रोज़गार सृजन, कौशल विकास तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास पहलों को सहायता प्रदान करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, राज्य सरकारों को, राज्य में अजजा आबादी के अनुपात में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) निधियां भी निर्धारित करना होता है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाओं और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियों के ब्यौरें केंद्रीय बजट के व्यय प्रोफाइल विवरण 10ख (https://www.indiabudget.gov.in/budget2025-26/doc/eb/stat10b.pdf) में दर्शाए गए हैं।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जैसे:

i. **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस):** वर्ष 2018-19 में जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किए गए थे। इस नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में

एक ईएमआरएस होगा। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत वित्तपोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

**पिछले तीन वर्षों के दौरान ईएमआरएस के तहत जारी की गई निधियों के ब्यौरे**

(लाख रुपये में)

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* |
|---|---|---|---|
| अखिल भारतीय | 1,97,055.63 | 2,30,494.85 | 4,61,079.71 |

*अनंतिम

ii. **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** यह योजना कक्षा IX-X में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों को 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों को 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संवितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहाँ यह अनुपात 90:10 है, को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

**पिछले तीन वर्षों के दौरान अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत जारी की गई निधि**

(करोड़ रुपये में)

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2024-25* |
|---|---|---|---|
| अखिल भारतीय | 357.29 | 308.60 | 163.69 |

*अनंतिम

iii. **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू तथा कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहां यह अनुपात 90:10 है को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

**पिछले तीन वर्षों के दौरान अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत जारी की गई निधि**

(करोड़ रुपये में)

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2024-25* |
|---|---|---|---|
| अखिल भारतीय | 1964.63 | 2668.69 | 2598.34 |

*अनंतिम

iv. **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: माननीय प्रधानमंत्री द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ** माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य पाँच वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में वन धन केंद्र स्थापित करके पाँच करोड़ से अधिक जनजातियों को आजीविका के अवसर देकर लाभान्वित करते हुए 63,843 गाँवों में अवसंरचना संबंधी अंतरों को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) रुपये है।

v. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** सरकार ने 18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन उद्देश्यों को 9 मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है, जिसमें छात्रावास और मोबाइल चिकित्सा इकाइयां (एमएमयू) भी शामिल है। पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये (केंद्र का हिस्सा: ₹15336 करोड़ और राज्य का हिस्सा: ₹8768 करोड़) है।

**पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम-जनमन के तहत राज्य सरकारों को जारी की गई निधियां**

**(करोड़ रुपये में)**

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2024-25* |
|---|---|---|---|
| **अखिल भारतीय** | -- | **100** | **99.68** |

*अनंतिम

vi. **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान:** संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बेहतर बनाने और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं। यह एक क्षेत्र विशेष कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

**पिछले तीन वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जारी की गई निधि (05.06.2025 तक)**

*(लाख रुपये में)*

| राज्य | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* |
|---|---|---|---|
| | कुल निर्मुक्ति | कुल निर्मुक्ति | कुल निर्मुक्ति |
| **अखिल भारतीय** | 97649.20 | 117210.00 | 117057.00 |

*अनंतिम

vii. **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं

को वित्तपोषित करता है, जिसमें आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि शामिल हैं।

**पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधि**

*(लाख रुपये में)*

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* |
|---|---|---|---|
| **अखिल भारतीय** | **10925** | **12083.7** | **17500** |

*अनंतिम

viii. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी):** जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित एक सर्वोच्च (शीर्ष) संगठन है जो आजीविका सृजन के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करता है। एनएसटीएफडीसी, थारू जनजाति सहित पात्र अनुसूचित जनजाति समुदायों को रियायती ऋण देता है। एनएसटीएफडीसी की योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में लागू की जाती हैं। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं:

- **सावधि ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई ₹50.00 लाख तक की लागत वाली अच्छी परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण देता है। इस योजना के तहत, परियोजना लागत का 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और शेष राशि सब्सिडी/प्रमोटर के योगदान/मार्जिन मनी के माध्यम से कवर की जाती है।

- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) :** यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी ₹2 लाख तक की लागत वाली परियोजना के लिए 90% तक का ऋण देता है।

- **स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ) :** यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की लघु (छोटे) ऋण की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु स्वयं सहायता समूहों के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, निगम प्रत्येक सदस्य को ₹50,000/- तक और प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण देता है।

- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) :** यह अजजा विद्यार्थियों की भारत में पीएचडी सहित तकनीकी और व्यावसायिक (पेशेवर) शिक्षा प्राप्त करने के खर्च को पूरा करने के लिए एक शिक्षा ऋण योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रत्येक पात्र परिवार को ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता देता है। छात्र शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अधिस्थगन अवधि अर्थात् पाठ्यक्रम अवधि एवं पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद एक वर्ष या नौकरी मिलने के बाद छः महीने जो भी पहले हो, के दौरान ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

*(लाख रुपये में)*

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* |
|---|---|---|---|
| | **वितरित राशि** | **वितरित राशि** | **वितरित राशि** |
| **अखिल भारतीय** | 29929.00 | 35165.42 | 37327.70 |

*अनंतिम

राज्य सरकारों को भी कुल योजना आवंटन के संबंध में, राज्य में अजजा आबादी (जनगणना 2011) के अनुपात में टीएसपी निधियां निर्धारित करनी होती है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा टीएसपी के लिए आवंटन और व्यय का विवरण https://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए कई योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। इन योजनाओं के ब्यौरे और मंत्रालय द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों में राज्य-वार आवंटित निधियां यहां दी गई हैं।

**(ग):** जनजातीय कार्य मंत्रालय "अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए)" लागू करता है, जिसे अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के साथ वन भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकारों को लंबे समय तक मान्यता न मिलने के कारण हुए ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया था।

एफआरए 13 अलग-अलग उपयोग के अधिकारों को मान्यता देता है, जिसमें व्यक्तिगत या सामूहिक कब्जे वाली वन भूमि पर रहने या आजीविका के लिए स्वयं खेती करने का अधिकार, स्वामित्व अधिकार, लघु वन उत्पादों का संग्रहण, उपयोग करने और निपटान (बेचने) का अधिकार शामिल है। पानी के स्रोतों (जलाशयों) और उनके उत्पादों, चरागाहों (स्थायी या घुमंतू दोनों) के उपयोग का अधिकार और पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच, और साथ ही वन आश्रित समुदाय की ग्राम सभा को किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार और ज़िम्मेदारी देना, जिसे वे पारंपरिक रूप से स्थायी उपयोग के लिए संरक्षित करते आ रहे हैं। इसके अलावा, एफआरए जनजातीय आबादी के किसी भी विस्थापन से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता और उन्हें निहित की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक संस्थानों को शामिल भी करने का प्रयास करता है।

**31.05.2025 तक "अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006" के तहत प्राप्त दावों का संवितरण, स्वामित्व अधिकार पत्रों और वन भूमि की सीमा जिसके लिए स्वामित्व अधिकार पत्र (व्यक्तिगत और सामुदायिक) संवितरित किए गए हैं, का विवरण :**

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | 31.05.2025 तक प्राप्त दावों की संख्या | | | 31.05.2025 तक संवितरित स्वामित्व अधिकार पत्रों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | व्यक्तिगत | समुदाय | कुल | व्यक्तिगत | समुदाय | कुल |
| अखिल भारतीय | 49,11,495 | 2,11,609 | 51,23,104 | 23,89,670 | 1,21,705 | 25,11,375 |

*अनंतिम

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | वन भूमि की सीमा (क्षेत्र) जिसके लिए स्वामित्व अधिकार पत्र संवितरित किए गए (एकड़ में) | | |
|---|---|---|---|
| अखिल भारतीय | व्यक्तिगत | समुदाय | कुल |
| | 5075083.5 | 18198863.9 | 23273947.4 |

*अनंतिम

**(घ):** जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों नामत: भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से पूरे भारत में

जनजातीय समुदायों के उद्यमियों और व्यक्तिगत व्यवसायों को आर्थिक सहायता करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहलों को सुदृढ़ करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उत्पादों (एमएफपी)/गैर-कृषि उत्पादों के ज़्यादा कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करने के लिए 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। 2019-20 में इस कार्यक्रम की शुरूआत के बाद से, 12.33 लाख सदस्यों को जोड़ते हुए 4125 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए 612.13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) पहल के तहत, 45,924 सदस्यों को जोड़ते हुए 539 वीडीवीके की स्थापना के लिए 22.98 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसका राज्य-वार ब्यौरा यहाँ दिया गया है।

**पीएमजेवीएम वीडीवीके का अखिल भारतीय-वार विवरण**

***(लाख रुपये में)***

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | स्वीकृत किए गए वीडीवीके की संख्या | लाभार्थियों की कुल संख्या | स्वीकृत निधियां |
|---|---|---|---|
| अखिल भारतीय | 4125 | 1233328 | 61212.7 |

**पीएम-जनमन वीडीवीके का अखिल भारतीय-वार विवरण**

***(लाख रुपये में)***

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | वीडीवीके स्वीकृत | लाभार्थी | स्वीकृत निधि |
|---|---|---|---|
| अखिल भारतीय | 539 | 45,924 | 2298.05 |

इसके अलावा, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों और आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करता है, जिससे धातु शिल्प, कपड़ा, आभूषण, चित्रकला, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पाद सहित विभिन्न श्रेणियों में जनजातीय उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करता है। इन उत्पादों का विपणन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने, संभावित खरीदारों से जुड़ने और अपने उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक मंच (प्लेटफॉर्म) प्रदान करने के लिए त्योहारों, प्रदर्शनियों और ट्रेड फेयर (व्यापार मेले) का आयोजन करता है और उनमें भागीदारी करता है।

**(ड.) और (च) :** मंत्रालय ने डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अजजा के विकास के लिए दो मिशन शुरू किए हैं नामत: - प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने, समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कमेटियां (समितियां) बनाई गई हैं। राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय शीर्ष समिति (एसएलएसी) बनाई गई है। ज़िला स्तर पर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक ज़िला-स्तरीय समिति और

ब्लॉक स्तर पर, अलग-अलग विभागों के अधिकारियों वाली ब्लॉक-स्तरीय कार्यान्वयन टीमें (बीएलआईटी) बनाई गई हैं ताकि उपायों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में सुविधा हो।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा बैठकें भी करता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं।

जनजातीय कल्याण योजनाओं के प्रदर्शन और प्रभाव का आकलन करने के लिए कई मूल्यांकन और निगरानी के कार्य किए गए हैं। नीति आयोग (डीएमईओ) ने मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पैकेज 9 के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं का एक विस्तृत मूल्यांकन अध्ययन किया, जिसमें वनबंधु कल्याण योजना के तहत सात योजनाएं शामिल थीं।

1. मैट्रिक-पूर्व छात्रावृत्ति
2. अजजा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रावृत्ति
3. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता
4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
5. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)
6. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना - पीएमएएजीवाई (पहले इसे जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता - टीएसएस को एससीए के नाम से जाना जाता था)। पीएमएएजीवाई को नवस्वरूपित किया गया है और इसे डीएजेजीयूए में शामिल कर लिया गया है।
7. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के लिए प्रशासनिक लागत

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आठ केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं का मूल्यांकन करवाया है, जो नामत: इस प्रकार हैं:

1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
2. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति
3. विदेश में पढ़ाई के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति
4. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
5. प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)
6. जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)
7. निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण और सामाजिक लेखापरीक्षा (एमईएसएसए)
8. अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि

******